भाग 1

क

न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, किशनगढ़, जिला अजमेर		
पीठासीन अधिकारी	:	जितेन्द्र रैया, आर.जे.एस.
निर्णय दिनांक	:	28.03.2026
सीआईएस संख्या	:	1847/2016
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	:	43/2026
अभियोग संख्या	:	194/2014
पुलिस थाना	:	गांधीनगर, जिला अजमेर

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रस्तुत द्वारा	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	1. रामसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी– कचनारिया, पुलिस थाना– दूदू, जिला– जयपुर
अधिवक्ता अभियुक्त	अधिवक्ता श्री जटाशंकर तिवारी

ख

घटना की दिनांक	26.06.2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	27.06.2014
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	26.09.2014
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	14.12.2016
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	23.02.2017
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	24.03.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	28.03.2026
सजा आदेश यदि हो तो	– – निल – –

Authenticated document

ग

अभियुक्त की सूचना

क्रम	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 दंप्रसं में समायोजन समयावधि
1	रामसिंह	05.07.2014	08.07.2014	323, 354, 452, 34 भा.द.सं.	दोषमुक्त	– निल –	– निल–
नोटः– अभियुक्त को प्रथम बार दिनांक 05.07.2014 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.07.2014 को प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्ष में प्रेषित किया गया। जिसके पश्चात दिनांक 08.07.2014 से अभियुक्त जमानत पर है।							

भाग 2

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय साक्षी सूची

कः अभियोजन साक्षी

क्रम	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू– 1	डॉ. के.के. तनवानी	चिकित्सीय साक्षी
पी.डब्ल्यू– 2 ए	शंकर सिंह	मुख्य साक्षी
पी.डब्ल्यू– 3 ए	मांगू सिंह	मुख्य साक्षी
पी.डब्ल्यू– 4 ए	प्रभुराम	मुख्य साक्षी
पी.डब्ल्यू– 5 ए	ओमेन्द्र सिंह	मुख्य साक्षी
पी.डब्ल्यू– 6 ए	चांद कंवर	मुख्य साक्षी
पी.डब्ल्यू– 7 ए	गेंद कंवर	मुख्य साक्षी
पी.डब्ल्यू– 8 ए	भवानी सिंह	मुख्य साक्षी
पी.डब्ल्यू– 9 ए	रतनलाल	साक्षी– फर्द गिरफ्तारी
पी.डब्ल्यू– 10 ए	अरूण	साक्षी– फर्द गिरफ्तारी
पी.डब्ल्यू– 11	प्रभाती लाल	अनुसंधान अधिकारी

Authenticated document

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज सूची
खः अभियोजन दस्तावेज सूची

क्रम	प्रदर्श	विवरण	संबंधित साक्षी
1	पी – 1	मजरूबान के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र	पी.डब्ल्यू– 1, 11
2	पी – 2		पी.डब्ल्यू– 1, 11
3	पी – 3		पी.डब्ल्यू– 1, 11
4	पी– 4		पी.डब्ल्यू– 1, 11
5	पी– 5	तहरीरी रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू– 2 ए, 7 ए, 11
6	पी– 6	चाक एफ.आई.आर.	पी.डब्ल्यू– 2 ए, 7 ए
7	पी– 7	नक्शा मौका घटनास्थल	पी.डब्ल्यू– 2 ए, 5 ए, 7 ए, 11
8	पी– 8	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त भागचंद	पी.डब्ल्यू– 11
9	पी– 9	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रामसिंह	पी.डब्ल्यू– 9 ए, 10 ए, 11

नोटः– हस्तगत प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त के द्वारा बचाव वास्ते निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

क्रम	प्रदर्श	विवरण
1	डी– 1	पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. ओमेन्द्र सिंह

मुद्दमल की सूची

क्रम संख्या	प्रदर्श	विवरण	संबंधित साक्षी
1	– निल –	– निल –	– निल –

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 28.03.2026

1. हस्तगत प्रकरण पुलिस थाना गांधीनगर, जिला– अजमेर की ओर से दिनांक 26.09.2014 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण नियमित फौजदारी में दर्ज रजिस्टर किया गया। कालान्तर में हस्तगत प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादिया गेंद देवी ने पुलिस थाना गांधीनगर में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 26.06.2014 को रात 10.00 बजे वह, उसका पति एवं बच्चे घर पर सो रहे थे, तभी भागचंद गुर्जर व उसके साथ 5–6 अन्य साथी स्विफट कार में बैठकर आए व उसके घर में घुसकर लाठियों व सरियों से उनके साथ मारपीट करने लग गए व उसके पहने हुए कपडे फाड दिए व हाथ की कंगन, चूड़ी तोड दिए व छेडछाड करने लगा तब जोर–जोर से चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने आकर बीच–बचाव किया व बीच– बचाव करते समय ओमेन्द्र के साथ भी मारपीट करने लग गए व मोबाईल व रूपये छीनकर ले गए तथा ओमेन्द्र की पत्नी के साथ भी मारपीट की तथा उसके भी कपड़े फाडा दिए आदि पर मुकदमा नंबर 194/2014 अंतर्गत धारा 323, 452, 354, 143, 379 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 354, 452, 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत हुआ तथा अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ में प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त को उपरोक्त धारा 323/34, 354/34, 452 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने उपरोक्त आरोपों को सुन–समझकर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य अभियोजन में साक्ष्य प्रांरभ की गयी।

5. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त भाग 2 के अनुसार मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यहां यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि साक्ष्य अभियोजन के दौरान अभियुक्त रामसिंह मफरूर रहा है, जिसके पुनः उपस्थित आने पर उसके अनुपस्थिति में लेखबद्ध साक्ष्य को पुनः तलब किया जाकर लेखबद्ध किया गया एवं अभियुक्त के द्वारा प्रति–परीक्षण किया गया तथा अभियुक्त भागचंद को न्यायालय द्वारा पूर्व में दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। अतः हस्तगत प्रकरण केवल अभियुक्त रामसिंह के संबंध में ही निर्णित किया जा रहा है।

Authenticated document

6. तत्पश्चात् अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताया और कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

7. उभय पक्षों को बहस अन्तिम के स्तर पर सुना गया। अभियोजन का तर्क रहा कि पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। ऐसे में अभियुक्त को आरोपित अपराध के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डित किया जावे। अभियोजन द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये, जिनका ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

   1. सैयद अहमद बनाम स्टेट आफ कर्नाटक 2012(3) क्राईम 202 एससी
   2. भारभाडा भोगिन भाई हिरजी भाई बनाम स्टेट आफ गुजरात ए.आई.आर 1983 एस.सी 753

8. वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान यह जाहिर किया गया है कि अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की मारपीट कारित नहीं की गयी है न ही परिवादिया से छेडछाड की गयी है। प्रकरण में साक्षी परीक्षित कराये गये है, वे हितबद्ध साक्षी है, जिनके बयानों में काफी विरोधाभास है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से प्रमाणित नहीं होते है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाए।

9. पत्रावली के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि :–

   1. **''क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.06.2014 को समय रात्रि करीब 10.00 बजे स्थान– रामदेव कॉलोनी स्थिति परिवादिया के निवास स्थान में मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया गेंद कंवर व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ स्वेच्छया कुंदाला से मारपीट कर, उनके बदन पर साधारण उपहतियां कारित की, परिवादिया की लज्ञा भंग करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए उसकी लज्ञा भंग**

की, तथा परिवादिया के रिहायशी मकान में मारपीट करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार किया ?"

2. यदि हां, तो उपर्युक्त का उचित दण्ड क्या होगा?

10. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के प्रमाणीकरण के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 1 डॉ. के .के. तनवानी, जो कि हस्तगत प्रकरण का चिकित्सीय साक्षी है, ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ अपने साक्ष्यों में कथन किया है कि वह दिनांक 26.01.2014 को वाई.एन. अस्पताल, किशनगढ में एस.एम.ओ. के पद पर कार्यरत था, उस दिन पुलिस थाना गांधीनगर के प्रतिवेदन पर उसने गेंद कंवर, शकर सिंह, ओमेन्द्र सिंह, भंवानी सिंह, की चोटों का मुआयना ककर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी– 1 लगायत प्रदर्श पी– 4 तैयार किये थे, जिन पर ए से बी चोटों का विवरण, सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उक्त मजरूबों का मुआयना 11.30 पी.एम. से 11.45 पी.एम. पर उसके द्वारा किया गया। सभी की एक–एक चोटे साधारण प्रकृति की कुंदाला से कारित थी, जिनकी अवधि 4–6 घंटे के मध्य की थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर साक्षी कथन करता है कि प्रदर्श पी– 1 लगायत प्रदर्श पी– 4 में सभी चोटे गिरने–पडने से आना संभव है।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 2 ए, शंकर सिंह ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ साक्ष्यों में कथन किया है कि घटना करीब 11–12 वर्ष पहले गर्मियों की है। वह, उसकी पत्नी व दोनों लडके व एक लडकी घर पर ही सो रहे थे। घर का गेट खुला था, उसी समय भागचंद, रामसिंह व उसके साथ तीन–चार अन्य लोग कार में आकर उनके घर में घुस गये। घर में घुसते ही उनके साथ लकडी व सरियों से मारपीट करने लगे। उक्त लोगों ने उसकी पत्नी के पहने हुए कपडे फाड दिये व हाथ में पहनी चूडियां तोडी दी व छेडछाड की। तभी वहां ओमेंन्द्र सिंह, उसकी पत्नी, मांगूसिंह व प्रभुसिंह ने आकर बीच–बचाव कराया। मारपीट से उनके चोटे आयी थी, ओमेन्द्र सिंह के भी चोटे आयी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी– 5 है, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी– 6 है। दोनों ही दस्तावेजों पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी– 7 है, जिस पर ए से बी

भाग पर उसके हस्ताक्षर है, जो पुलिस ने उसके, उसकी पत्नी व ओमेन्द्र के सामने बनाया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर साक्षी कथन करता है कि उक्त घटना काफी पुरानी है, *झगडा करने वालों के नाम उसे पता नहीं है तथा उनके नाम उसने पुलिस को भी नहीं बताये है। उसे उक्त झगडा करने वालों की कद व हुलिया याद नहीं है।* परिवादिया उसकी पत्नी है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 3 ए, मांगू सिंह ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ साक्ष्यों में कथन किया है कि दिनांक 26.06.2014 को रात को लगभग 10.00–11.00 बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियों का समय था। वे लोग छत पर सो रहे थे। शंकर सिंह के मकान के अंदर की बात है। उन्हें शोर की आवाज आयी। तब वह और उसके साथ प्रभु रेगर, चांद कंवर, ओमेन्द्र सिंह, नंद किशोर प्रजापत शंकर जी के मकान की तरफ गये। भागचंद के साथ तीन चार व्यक्ति और थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम उसे पता नहीं है। सभी व्यक्ति शंकर सिंह जी व उनके परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। उन्होंने वहां पर बीच–बचाव कराया जिसमें ओमेन्द्र सिंह जी के चोट लगी थी। शंकर सिंह जी की पत्नी के कपडे फटे हुए थे। भागचन्द व उसके साथियों ने कपडे फाड़े थे फिर यह व्यक्ति धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी व उसके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर साक्षी कथन करता है कि 10–11 साल पहले की बात है, उसे याद नहीं है कि क्या बात हुई थी। *इसे सही बताता है कि वह किसी को नहीं पहचानता है, यदि अभियुक्त उसके सामने आ जाये तो वह नहीं पहचान सकता है।* वह मौके पर झगडा होने के बाद पहुंचा था।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 4 ए, प्रभुराम ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ साक्ष्यों में कथन किया है कि 12–13 वर्ष पहले, गर्मियों के समय की रात्रि 10.00–11.00 बजे की बात है। शंकर सिंह का मकान, जो रामदेव कॉलोनी, सरदार सिंह की ढाणी में है, उसके अंदर की बात है। वह घर पर सो रहा था, तभी शंकर सिंह के मकान से आवाजे आयी तो उसके बाद वह उसके मकान पर गया था। साक्षी के पक्षद्रोही घोषित होने के उपरांत अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर साक्षी कहता है कि वह

निश्चित रूप से नहीं बता सकता है कि जब वह शंकर सिंह के घर पहुंचा तो वहां पर अभियुक्त मारपीट कर रहे हो। उक्त दिवस को क्या हुआ था, वह भूल गया। उसने बीच–बचाव नहीं कराया था। *अभियुक्तगण ने शंकर सिंह व उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की हो तथा परिवादिया के कपडे फाडे हो तो उसे नहीं पता।* अधिवक्ता अभियुक्त को उक्त साक्षी से प्रति–परीक्षण का अवसर दिये जाने के उपरांत भी प्रति–परीक्षण नहीं किया गया।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 5 ए, ओमेन्द्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ साक्ष्यों में कथन किया है कि वर्ष 2014 में गर्मियों के समय रात्रि 10.00–11.00 बजे की बात है। वे छत पर सो रहे थे, तभी शंकर सिंह के मकान से आवाज आयी तो उसके बाद वह, उसकी पत्नी, प्रभु, मांगू सिंह, नंदकिशोर प्रजापत उसके मकान पर गये, जब उन्होंने देखा कि भागचंद व उसके साथ कुछ लोग शंकर सिंह व उसके परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे, उन्होंने बीच–बचाव किया। उसके चोटे आयी। मारपीट के बाद भागचंद ने शंकर सिह को धमकी दी। नक्शा मौका स्थल प्रदर्श पी– 7 है, जिस पर सी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, जो कि घटना के एक दिन बाद पुलिस ने उसके व शकर सिंह व शंकर सिंह की पत्नी के सामने मौके पर बनाया था। साक्षी के पक्षद्रोही घोषित होने के उपरांत अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर साक्षी कथन करता है कि पुलिस को उसने बयान दिए थे या नहीं आज उसे याद नहीं है। इसे सही बताया कि भागचंद व जो उसके साथ में थे, उन लोगों ने शंकर सिंह की पत्नी के कपडे फाड दिये थे फिर कहा कि जब वे गये थे, तो उनके जाने से पहले ही कपडे फटे हुये थे। *भागचंद के साथ अन्य व्यक्ति था, उसका नाम रामसिंह ही होना चाहिये था।* उसने पुलिस को भी रामसिंह का नाम बताया था। अभियुक्तगण ने लकडी व सरिये से मारपीट की थी। मारपीट करने वाले तीन–चार लोग थे, जिनमें से भागचंद व रामसिंह के नाम उसने पुलिस को बताये थे। मारपीट से उसके, शंकर सिंह व उसकी पत्नी गेंद कंवर, भवानी सिंह के चोटे आयी थी। उसका मेडिकल भी हुआ था।

15. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर साक्षी कथन करता है कि वह झगडे की आवाज सुनकर लगभग 10–15 मिनट बाद मौके पर गया था। *जिस रामसिंह का नाम उसने पूर्व में बताया, उसको वह पहले से नहीं जानता था।* मारपीट

करने वालों का नमा उसे शंकर सिंह वगैरह ने बताया था, तभी उसने बताया था। उसे मारपीट करने वालों के कद काठी व शक्ल याद नहीं है।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 6 ए, चांद कंवर ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ साक्ष्यों में कथन किया है कि लगभग 8–9 साल पहले की रात्रि को गर्मियों के समय 10.00–11.00 बजे की बात है। शंकर सिंह का मकान, जो रामदेव कॉलोनी, सरदार सिंह की ढाणी में है, उसके अंदर की बात है। वे छत पर सो रहे थे। तभी शंकर सिंह के माकन से आवाज आयी तो उसके बाद वह, उसका पति, मांगू सिंह, प्रभु, नंदकिशोर प्रजापत उसके मकान पर गये, उन्होंने देखा कि भागचंद व उसके साथ कुछ लोग शंकर सिंह व उसके परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। उन्होंने बीच–बचाव कराया, उसके पति के चोट आयी। उसने मारपीट होते हुए देखा। मारपीट के बाद भागचंद ने शंकर को धमकी दी। साक्षी के पक्षद्रोही घोषित होने के उपरांत अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर साक्षी कथन करता है कि पुलिस को उसने बयान दिए थे या नहीं आज उसे याद नहीं है। इसे सही बताया कि भागचंद व जो उसके साथ में थे, उन लोगों ने शंकर सिंह की पत्नी के कपडे फाड़ दिये तथा बाल खीच लिये। शंकर सिंह की पत्नी के हाथ में पहनी चूडियो को भी तोड़ दिया था। भागचंद के साथ जो अन्य व्यक्ति था, उसका नाम रामसिंह ही होना चाहिए था। उसने पुलिस को भी रामसिंह का नाम बताया था। अभियुक्तगण ने लकडी व सरिये से मारपीट की थी। मारपीट करने वाले चार पांच लोग थे। जिनमें से भागचंद गुर्जर व रामसिंह दो लोगों के नाम उसने पुलिस को बताये थे। भागचंद गुर्जर व रामसिंह शायद शंकर जी के घर से ही थे, जिन्हें वह पहले से नहीं जानती थी। मारपीट करने वालो का नाम उसे शंकर जी ने बताया था फिर कहा कि जब उक्त लोग मारपीट कर रहे थे तो वे लोग भागचंद व रामसिंह नाम से आवाज लगा रहे थे, जो अभियुक्तगण के साथ वाले लोग आवाज लगा रहे थे। मारपीट से उसके पति ओमेन्द्र सिंह व शंकर सिंह व उनकी पत्नी गेन कंवर, भवानी सिंह के चोटें आयी थी।

17. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर साक्षी कथन करती है कि उसे मारपीट करने वालों के नाम नहीं पता है, ना ही मारपीट करने वालों के नाम उसने पुलिस को बताया था। उक्त घटना रात की है, उसने मारपीट करने वालों की शक्ल

नहीं देखी थी, वे मोटे से थे। वह झगडे की आवाज सुनकर 5–10 मिनट बाद मौके पर पहुंची थी।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 7 ए, गेंद कंवर ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ साक्ष्यों में कथन किया है कि दिनांक 26.06.2014 को रात के लगभग 10.00–11.00 बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियों का समय था वे लोग घर के अंदर सो रहे थे। उनके मकान के अंदर की बात है। उसके पति शंकर सिंह के साथ भागचंद, रामसिंह और तीन चार व्यक्ति थे, यह सभी व्यक्ति उसके पति व उसके परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। जिन्होंने उसके कपडे फाडे थे। भागचंद, रामसिंह व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। ओमेन्द्र, प्रभु रेगर, मांगू सिंह, चांद कंवर ने बीच–बचाव कराया। बीच–बचाव में ओमेन्द्र सिंह जी के चोट आई थी फिर भागचंद वगैरह धमकी देकर भाग गए। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी– 5 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी– 6 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा उसके व शंकर सिंह, ओमेन्द्र सिंह के समक्ष बनाया था जो प्रदर्श पी– 7 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। नक्शा पुलिस ने घटनास्थल पर ही बनाया था।

19. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर साक्षी कथन करती है कि उसे झगडे की कोई जानकारी नहीं है, ना ही उसने कोई झगडा देखा। वह किसी भागचंद व रामसिंह को नहीं जानती है, न ही पहचानती है। इसे सही बताया कि पुलिस ने उससे कभी कोई पूछताछ की तथा ना ही उसके बयान लिये।

20. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 8 ए, भवानी सिंह ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ साक्ष्यों में कथन किया है कि घटना 11–12 साल पहले गर्मियों की है। वह, उसके माता–पिता व उसे भाई–बहन घर पर ही सो रहे थे। घर का गेट खुला था। उसी समय भागचंद, रामसिंह व उसके साथ तीन चार लोंग कार में आकर उनके घर में घुस गये। घर में घुसते ही उनके साथ लकडी व सरिये से मारपीट करने लगे। उक्त लोगो ने उसकी माता के

पहने हुए कपडे फाड दिये व हाथ में पहनी चूडियां तोड़ दी व छेडछाड की। तभी वहां ओमेन्द्र सिंह, उसकी पत्नी, मांगूसिह व प्रभुसिंह ने आकर बीच–बचाव करवाया। मारपीट से उनके चोटे आयी। ओमेन्द्र सिंह के भी चोटें आयी थी। अभियुक्त रामसिंह प्रभूदयाल जी के मकान के पिछली गली में रहता था, जो गली उनकी रामदेव कॉलोनी में है, इस कारण वह रामसिंह को पहले से ही जानता है।

21. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर साक्षी कथन करता है कि उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है। वह मौके पर नहीं था। उसने उस वक्त रामसिंह का नाम नहीं बताया था।

22. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 9 ए, रतनलाल, तत्कालीन कानि. पुलिस थाना गांधीनगर ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ साक्ष्यों में कथन किया है कि दिनांक 05.07.2014 को उक्त मुकदमें में अनुसंधान अधिकारी उसके व कानि. अरूण के सामने अभियुक्त रामसिंह को जरिये प्रदर्श पी– 9 गिरफ्तार किया था। जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त को उक्त साक्षी से प्रति–परीक्षण का अवसर दिये जाने पर भी प्रति–परीक्षण नहीं किया गया।

23. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 10 ए, अरूण, तत्कालीन कानि. पुलिस थाना गांधीनगर ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ साक्ष्यों में कथन किया है कि दिनांक 05.07.2014 को उक्त मुकदमें में अनुसंधान अधिकारी उसके व कानि. रतनलाल के सामने अभियुक्त रामसिंह को जरिये प्रदर्श पी– 9 गिरफ्तार किया था। जिस पर उसके हस्ताक्षर सी से डी भाग पर है। अधिवक्ता अभियुक्त को उक्त साक्षी से प्रति–परीक्षण का अवसर दिये जाने पर भी प्रति–परीक्षण नहीं किया गया।

24. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 11, प्रभाती लाल, तत्कालीन ए.एस.आई. पुलिस थाना गांधीनगर, हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ साक्ष्यों में कथन किया है कि उस दिन दिनांक 27.06.2014 परिवादिया ने उपस्थित थाना होकर एक रिर्पोट पेश की थी जिस पर मुकदमा नम्बर 194/2014 अंतर्गत धारा 323, 143,

452, 354, 379 आई.पी.सी. दर्ज होकर प्रकरण का अनुसंधान उसके जिम्मे किया गया था। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी– 5 है जिस पर सी से डी प्रभुदयाल जी एस.एच.ओ. के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर परिवादिया की अंगूठा निशानी है। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी– 4 है, जिस पर सी से डी प्रभुदयाल जी के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान परिवादिया के निशादेही से समक्ष गवाहान शंकर सिंह, ओमेन्द्र सिंह के घटनास्थल रामदेव कॉलोनी ढाणी रोड का नक्शा मौका उसके द्वारा बनाया गया था। जो प्रदर्श पी– 7 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान परिवादिया गेंद कंवर गवाहान शंकर सिंह, चांद कंवर, नंदकिशोर, भवानी सिंह, मांगु सिह प्रभुदयाल के बयान उसके द्वारा उनके कहेनुसार लेखबद्ध किए थे। मजरूबान का मेडिकल प्रदर्श पी– 1 लगायत प्रदर्श पी– 4 उसके द्वारा लिए जाकर शामिल पत्रावली किया गया था। अभियुक्त भागचंद को दिनांक 27.06.2014 को थाना गांधीनगर पर समक्ष गवाहान ओमेन्द्र सिंह, शंकर सिंह के मेरे द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जो प्रदर्श पी– 8 है, जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच आरोपी के हस्ताक्षर है। अभियुक्त रामसिंह को दिनांक 05.07.2014 को थाना गांधीनगर पर समक्ष गवाहान रतन लाल, अरूण सिंह के उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था जो प्रदर्श पी– 9 है जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच आरोपी के हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण भागचंद, रामसिंह के विरूद्ध धारा 323, 354, 452, 34 आई.पी.सी. में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना अधिकारी प्रभुदयाल जी को पेश की। जिन्होंने उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी प्रभुदयाल जी थाना अधिकारी के हस्ताक्षर है, उनके हस्ताक्षर वह उनके अधीनस्थ होने से पहचानता है।

25. यहां यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि अनुसंधान अधिकारी के उपरोक्त बयान अभियुक्त रामसिंह के मफरूर होने के दौरान लेखबद्ध किये गये, जिसके पश्चात अभियुक्त की उपस्थिति होने पर अनुसंधान अधिकारी को पुनः न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उक्त बयान अभियुक्त के विरूद्ध ग्राह्य है।

26. न्यायालय द्वारा उपरोक्त का समग्र विवेचन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। ध्यान देने योग्य है कि निश्वत रूप से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **सैयद अहमद बनाम स्टेट आफ कर्नाटक, 2012(3) क्राईम 202 एस.सी.** व **भारभाडा भोगिन भाई हिरजी भाई बनाम स्टेट आफ गुजरात, ए.आई.आर 1983 एस.सी. 753** यह प्रतिपादित करते है कि घटना के पश्चात विचारण का समय अधिक होने तक यदि साक्षियों के साक्ष्यों में सूक्ष्म विरोधाभास आता है तो यह स्वभाविक ही है तथा इनके आधार पर दोषमुक्ति नहीं की जा सकती है परंतु न्यायालय के मत में यदि विरोधाभास गंभीर हो तो उक्त न्यायिक दृष्टांत अभियोजन को किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे।

27. न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि घटना के मुख्य साक्षी शंकर सिंह ने प्रति–परीक्षण में स्वीकार किया कि उसे झगड़ा करने वालों के नाम, कद या हुलिया याद नहीं है। साक्षी मांगू सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त उसके सामने आ जाए, तो वह उसे नहीं पहचान सकता। इसी प्रकार, ओमेन्द्र सिंह ने स्वीकार किया कि वह अभियुक्त रामसिंह को पहले से नहीं जानता था और उसका नाम उसे दूसरों ने बताया था। चांद कंवर ने भी यह माना कि उसने रात के अंधेरे में मारपीट करने वालों की शक्ल नहीं देखी थी। स्वयं परिवादिया गेंद कंवर ने न्यायालय में बयान दिया कि वह किसी रामसिंह को नहीं जानती और न ही पहचानती है। परिवादिया अपने मुख्य परीक्षण में दी गई कहानी से पूरी तरह मुकर गई और प्रति–परीक्षण में कहा कि उसे झगड़े की कोई जानकारी नहीं है और न ही उसने कोई झगड़ा देखा। उसने यहां तक कह दिया कि पुलिस ने उससे कभी कोई पूछताछ नहीं की और न ही उसके बयान लिए। परिवादिया के इन विरोधाभासी बयानों ने अभियोजन की पूरी कहानी को अविश्वसनीय बना दिया है। मजरूब साक्षी भवानी सिंह ने प्रति–परीक्षण में कहा कि वह मौके पर मौजूद ही नहीं था और उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। चिकित्सीय अधिकारी ने स्वीकार किया कि मजरूबान के शरीर पर आई चोटें साधारण प्रकृति की थीं और वे कहीं गिरने–पड़ने से भी आ सकती हैं। महत्वपूर्ण साक्षी जैसे ओमेन्द्र सिंह और चांद कंवर 'पक्षद्रोही' घोषित हुए, जिससे मजरूबान द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो

सकी। मात्र अनुसंधान अधिकारी के बयानों के आधार पर जबकि उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है और वे अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित करने में असमर्थ रहे है, अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जाना सुरक्षित नहीं है।

28. अतः इस प्रकार न्यायालय के मत में अभियोजन द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है तथा पत्रावली पर साक्ष्य सामग्री का पूर्णतया अभाव है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव से उत्पन्न संतोषजनक संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–– आदेश ––

29. अतः अभियुक्त रामसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी– कचनारिया, पुलिस थाना– दूदू, जिला– जयपुर को अपराध अंतर्गत धारा 323, 354, 452, 34 भारतीय दण्ड संहिता में साक्ष्यों के अभाव से उत्पन्न संतोषनजक संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

30. हस्तगत प्रकरण में कोई माल जब्त नहीं होने से उसके संदर्भ में पृथक से कोई आदेश किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है।

31. अभियक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त समझे जावे। उक्त निर्णय की एक प्रति अविलंब ई–कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

(जितेन्द्र रैया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या 1 किशनगढ़, अजमेर

32. यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2026 को विवृत न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र रैया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या 1 किशनगढ़, अजमेर

Authenticated document